P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-5*January-2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा तथा उत्पीड़न

तरन्नुम युसुफ
अंशकालिक प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
हलीम मुस्लिम पी0 जी0 कॉलेज,
कानपुर

सारांश

स्त्रियॉ जननी हैं। वे पुरूष को जन्म देती है। मानव संस्कृति में उनका विशेष योगदान होता है। गृहस्थ रूपी रथ के दो पहियों में एक पहिया स्त्री है। बिना स्त्री के गृहस्थी का रथ नहीं चल सकता! मानव–जीवन को स्थिरता प्रदान करने का श्रेय स्त्री को दिया जाता है। स्मृति4कार मनु ने स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है–

यत्र नार्यस्तु पुज्यते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्र एतास्तु न पुज्यते सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः।।

अर्थात् जहॉ नारियों का मान–सम्मान होता है। वहीं देवताओं का वास होता है। जहॉ पर इसकी प्रतिष्ठा नहीं होती वहॉ समस्त क्रियाएं विफल हो जाती हैं। हम देखते हैं कि समाज में स्त्रियों का विशेष महत्व है और होना भी चाहिए। परन्तु विभिन्न कारणों से विभिन्न समाजों में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों के समान नहीं रही है किसी काल में स्त्रियों को पुरूषों के बराबर सम्मान प्राप्त था तो कभी उनको दासी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

मुख्य शब्द : महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के प्रति हिंसा, सामाजिक,संवैधानिक प्रावधान।

प्रस्तावना

समाज की आधारभूत इकाई परिवार है, सामान्यतः परिवार पित्–सत्तात्मक होते हैं। सर्वाधिक आयु का व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। घर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उसकी सहमति रहती है। परिवार में दादा–दादी, माता–पिता, पुत्र–पुत्री, चाचा तथा विधवा बहनें भी संयुक्त परिवार के सदस्य होते है। परिवार के सदस्य पृथक–पृथक होने की चेष्टा करने लगते हैं। जिससे आज के समाज का संयुक्त परिवार माता–पिता अविवाहित पुत्र–पुत्री तक ही सीमित होकर रह गए हैं। गॉवों के शहरीकरण, बाजार के प्रभाव महंगाई तथा जीवन–स्तर में परिवर्तन आदि विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकांकी परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है। श्याम चरण दुबे ने परिवार के विषय में कहा है कि 'मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार आधारभूत और सर्वव्यापी संस्था है। परिवार मानव जाति के आत्म–संरक्षण और जातीय जीवन को बनाये रखने का प्रधान साधन है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर भारतीयों की स्थिति व प्रत्येक युग तथा काल में कैसी रही इसका आगलन कर लेना आवश्यक होगा। प्राचीनकाल में स्त्रियों का भारतीय समाज में विशेष सम्मान था। वैदिक कालीन स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार मिले हुए थे। पत्नी को परिवार का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। उसकी इच्छा के विरूद्ध गृह–स्वामी कोई कार्य नहीं करता था। उसकी शिक्षा का प्रबन्ध होता था। पर्दा–प्रथा का प्रचलन नहीं था। पति के साथ पत्नी सामाजिक समारोह में भाग लेने जाया करती थी। प्रत्येक धार्मिक कृत्य में पुरूष के साथ स्त्री का होना आवश्यक था। दहेज–प्रथा का प्रचलन नहीं था।

वैदिक काल के पश्चात् ही भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा गिरनी आरम्भ हो गई थी। तथा मध्यकाल तक उसकी दशा अत्यन्त ही हीन हो गई। इस काल में मुस्लिम सम्पर्क के परिणाम स्वरूप अन्य धर्मों में पर्याप्त कठोरता आ गई। इसी के परिणाम–स्वरूप बाल–विवाह, दहेज प्रथा, बहु–विवाह तथा सती–प्रथा के नियमों में उनकी स्थिति को अल्न्त शोचनीय एवं दयनीय बना दिया। मुगल सामन्तों द्वारा आए दिन स्त्रियों के अपहरण होते रहते थे अतः स्त्रियों का हार से निकलना निषिद्ध कर दिया गया घर की चहार–दीवारी में ही स्त्रियॉ अपना जीवन व्यतीत करती थी। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति यह समझता था कि स्त्री का प्रमुख कर्तव्य पुरूषों की सेवा करना है। अतः उनके साथ गृह–दासी के समान व्यवहार होता था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति मुं इतनी गिरावट आ गई थी कि आधुनिक युग में अनेकर प्रकार के सुधार–प्रयासों के

बावजूद इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया।

आजकल शायद ही कोई विषय सामाजिक विज्ञानों में शोधकर्ताओं, केन्द्रीय और सरकारी, योजना दलों ओर सुधारकों का ध्यान आकृष्ट करता हो जितना की महिलाओं की समस्यायें परन्तु महिलाओं से संबन्धित एक महत्वपूर्ण समस्या जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है और जिससे बचा गया है वह है महिलाओं के विरूद्ध हिंसा तथा उत्पीड़न की समस्या–

उद्देश्य

प्रत्येक समाज का निर्माण वहॉ भौगोलिक परिस्थितियों एंश परम्पराओं, आर्थिक आवश्यकताओं तथा राजनीतिक विधाओं से निर्मित होता हे। मैकाइवर तथा पेज ने थी समाज को सामाजिक सम्बन्धों के जाल को एक ताने–बाने के रूप में परिभाषित किया है। ईश्वर की सृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ईश्वर ने हमें शारीरिक, शक्ति का उपयोग करने के लिए बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रह कर ही वह अपने अस्तिस्त को बनाए रखना चाहता है। और यह उसका नैसर्गिक गुण होता है। मनुष्य समाज में रहते हुए कार्यों को तो वह अपने बुद्धि व विवेक से करता है। तथा कुछ तो वह अपने जन्म–जात गुणों के आधार पर करता है।

पुरूष–प्रधान सामाजिक व्यवस्था होने के कारण स्त्रियों की स्थिति बहुत निम्न हो गई। मनु–स्मृति में तो स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्त्री को कभी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिए। वह सदैव पुरूष अर्थात् बचपन में पिता, यौवन–अवस्था में पति और वृद्धा–वस्था में पुत्र के संरक्षण में रहें। पुरूष–प्रधान समाज में सदैव ही एक स्त्री को वस्तु तथा वासना पूर्ति का साधन मान लिया गया। शिक्षा वह महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके अभाव में विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। अज्ञानता के भॅवर में फंसकर वे अनेकों अन्धविश्वास कुसंस्कार और सामाजिक परम्पराओं में इस प्रकार जकड़ गयी कि इनसे बाहर निकलना मुश्किल पड़ गया है।

''फ्रांसीसी लेखिका सीमोन द बोउवार का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ''औरत पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है ''भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति एक विशेष प्रकार की मानसिकता पायी जाती है।

.....स्त्रियों के इन अधिकारों स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा तथा अन्याय विरोध को नकारने का अर्थ है मानवता को नकारना या मानने से इंकार करना कि स्त्रियॉ मानवता का अंग हैं। यदि स्त्रियों को अधिकरों को नकारा जाता है तो स्त्रियों के अधिकरों की बात करना बेमानी है.. ..... या तो सभी मनुष्य के अधिकार समान या फिर किसी को कोई अधिकार न हो!(स्त्री–संघर्ष का इतिहास पृ0 107)

''यह सही है कि भारत–इतिहास में गार्गी, चॉदबीबी, नूरजहॉ, रजिया बेगम जैसी औरतें हो चुकी हैं, जिन्होंने साहित्य कला, दर्शन, प्रशासन के क्षेत्र में बड़े चमत्कार किये। लेकिन ये महिलाएं समाज की सामाजिक अधीनस्थता की उस स्थिति से मुक्त थी जिसमें अधिकांश महिलाएं ऐसी थी जहॉ उन्हें आत्मभिव्यक्ति के लिए न तो स्वतन्त्रता थी और न उपर्युक्त अवसरः– भारतीय नारी जो सामाजिक और न्यायिक विषमताओं एवं अनीतियों के शिकार हैं उन्हें दूर किया जाए।

(ए0 आर0 देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सा0 पृष्ठभूमि पृष्ठ 218–19)

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14) राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ) की गारण्टी देता है। अनुच्छद 15 (3) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथ्ताओं का परित्याग करने पर बल देता है। परन्तु स्थिति इसके विपरीत है–स्त्री का अतीत निश्चित रूप से गौरव–पूर्ण था। परन्तु कालान्तर में उनकी स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ और धीरे–धीरे उनकी स्थिति शोचनीय होती गई। मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण से हिन्दू समाज का मूल–ढांचा ही चरमरा गया। स्त्रियॉ मात्र एक भोग–विलास ओर वासना तृप्ति का साधन बन कर रह गई।

महिलाओं का उत्पीड़न

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या को नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल अवमानना (Humiliation) यातना और शोषण का शिकार रही है। संस्थागत रिवाजों ओर समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न ने काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। महिलाओं की धीरे–धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतन्त्रता के पश्चात् भी असंख्य महिलाएं आज भी हिंसा की शिकार हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है। उनके साथ बलात्कार किया जाता है। 2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी मीडिया में प्रचारित की गयी थी। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था। कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गयी थी, इसका व्यापक रूप से विरोध किया गया।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध

स्त्रियों के ऊपर होने वाली हिंसा उनकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाती है। औरतों को घूॅघट और घर के अन्दर बन्द करके रखा जाता है। उनका जल्दी विवाह करने का प्रचलन रहा है उन पर होने वाली हिंसा को उनके अपने चरित्र या दोष से जोड़कर देखा गया पुलिस रिकार्ड महिलाओं के खिलाफ भारत में अपराधों का उच्च–स्तर दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड–व्यूरो में 1998 में यह जानकारी दी थी 2010 तक महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं अधिक हो जाएगी, पहले बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों को इनसे जुड़े सामाजिक कलंक के कारण से कई मामलो को पुलिस में दर्ज ही नहीं कराया जाता था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज किये गए अपराधों की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है।

1962 में भारत सरकार ने वैवाहिक व्यवस्थाओं में दहेज की मांग को अवैध करार देने वाला दहेज निषेध

अधिनियम पारित किया। समाज सुधारकों का मानना था कि हर हाल में दहेज–प्रथा समाप्त होनी चाहिए। किन्तु यह प्रथा दिनों–दिन बढ़ती गयी और स्त्रियों का शोषण निरन्तर होता जा रहा है। दहेज के लिए स्त्रियों को जलाया जाने लगा। दहेज वास्तव में समाज का कोढ़ है, सभ्यता के नाम पर एक बदनुमा दाग है। 1985 में दहेज निषेध (दूल्हा और दुल्हन को दिये गये उपहारों की सूचियों के रख–रखाव सम्बन्धी) नियमों को तैयार किया गया था, हालांकि इस तरह के नियमें को शायद ही कभी लागू किया जाता है।

1997 की एक रिपोर्ड में यह दावा किया गया था कि दहेज के कारण प्रत्येक वर्ष कम से कुल 5000 महिलाओं की मौत हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि हर दिन कम से कम एक दर्जन महिलाएं जान–बूझकर लगाई गई ''रसोईघर की आग में जलाकर मार दी है! इसके लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है ''दुल्हन की आहुति'' (ब्राइड बर्निंग) और स्वयं भारत में इसकी आलोचना की जाती है।

यौन–उत्पीड़न

1990 में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज की गई अपराधों की कुल संख्या का आधा–हिस्सा कार्य–स्थल पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न से सम्बन्धित था। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के युग में नौकरियों का लालच देकर स्त्रियों को बेचे जाने का धन्धा हमारे देश में तेजी से बढ़ा है। आज देश में ऐसी एजेंसियॉ काम कर रही हैं, जो लड़कियों को अरब देशों में भेजती हैं। यदि लड़की भागने की कोशिश करती है तो मारी जाती है। इस प्रकार स्त्रियों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है? इस प्रकार स्त्रियों का यौन शोषण तथा उत्पीड़न अभी भी चल रहा है।

जहॉ विश्वास द्वारा महिलाओं पर अत्याचार

आज भी इतना अंधविश्वास है कि टोने–टोटके द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है और स्त्रियों को ''डायन'' करार दे दिया जाता है। आज स्त्रियों की स्थिति जितनी त्रासद, भयावह, एवं शोचनीय है पहले कभी नहीं थी, आज पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण सित्रयों को मात्र भोग को वस्तु माना जा रहा है। इसलिए आए दिन उनका शोषण हो रहा हे।

विधवाओं के विरूद्ध हिंसा

हिन्दु समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और पति–पत्नी का जन्म–जन्मान्तर का बंधन है। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पति की मृत्यु के बाद पानी को दूसरा विवाह करने की छूट नहीं है, सार्वजनिक उत्सवों व शुभ अवसरों व कार्यों में उसकी उपस्थिति को अपशकुन माना जाता है।

वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई के रूप में संसार का सबसे प्राचीन व्यवसाय है, ये अस्वीकृत अवैध–यौन सम्बन्ध है, जो प्रेम की भावना से रहित होकर आर्थिक लाभ के लिए अनेक व्यक्तियों से किया जाता है। होटलों के मालिक, टैक्सी ड्राइवर,केवरे, नृत्य के संयोजक एवं अन्य दलाल अपना कमीशन लेकर इस कार्य में सहयोग देते है। वैश्यावृत्ति सभ्य समाज में एक सफेद दाग है जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि लाचारी, भुखमरी तथा गरीबी ने स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के इस जघन्य अपराध में ऐसा जकड़ा है कि वे चाहकर भी इससे निकल रही नहीं पाती है।

आजकल के बदलते आर्थिक परिवेश प्रगति तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में स्त्रियों पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। हर लड़की के माता–पिता यही चाहते है कि उनकी बैटी शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जिससे उसका आने वाला जीवन सुरक्षित हो सके।

आज लड़कियॉ छोटे नगरों से महानगरों तक नौकरी कर रही है। लेकिन सभी कामकाजी स्त्रियों के सामने उनकी सुरक्षा की समस्या आड़े आती है। समय के साथ समाज में परिवर्तन को देखते हुए जिसे तेजी से स्त्रियॉ घर से बाहर निकली है उसी तेजी से उनकी असुरक्षा बढ़ी है। आज स्त्रियों से छेड़–छाड़ उनके अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। कामकाजी महिलाओं को घर–परिवार से दूर रह कर (Working Women's Hostel) आदि में रहना पड़ता है। इस स्थिति में इन महिलाओं के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। इसके अलावा ऑफिस में या दफ्तरों में भी स्त्रियों को परेशानी एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इस भारतीय समाज में नारी का स्थान गौण है पुरूष प्रधान समाजिक–व्यवस्था में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें वे अधिकार और आजादी व्यावहारिक रूप में नहीं मिल सकी जो पुरूषों को प्राप्त है। आजादी तो हमें मिल चुकी है लेकिन कई स्त्रियॉ ऐसी है जो अभी भी गुलामों का जीवन जी रही या उन्हें ऐसी जीवन जीने के लिये मजबूर किया जा रहा है। वे क्यों नहीं समझती कि उनमें अपनी और अपने बच्चों की देख–रेख करने की क्षमता है। जो यातना उन्हें समाज द्वारा दी जाती है। उससे उनको भावात्मक आघात पहुँचता है उन्हें जीवन की ओर आशावादी दृष्टिकोंण अपनाना चाहिए–

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कपूर एम0 एस0–चित्रा प्रकाशन/पेज संख्या 395*
2. *भारतीय समाज में नारियों की स्थिति सिंह प्रताप हिरेन्द्र– कुमार नवीन,अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा पेज–85*
3. *आहुजा राम महिलाओं के वि रूद्ध अपराध तथा हिंसा रावत पब्लिकेशन जयपुर 1987 पेज–238*
4. *आहुजा राम घरेलू हिंसा–रावत पब्लिकेशन जयपुर 1998 बन्दना सक्सेना।*
5. *महिलाओं का संसार और अधिकार पृष्ठ संख्या 19।*
6. *महिला आरक्षण बिल–अभिगमन तिथि–25–08–2010।*
7. *one world south asia new imrana 2006*
8. *रसोई घर की आग अपर्याप्त दहेज लाने वाली भारतीय दुल्हनों की मृत्यु का कारण बनती है, 28 जुलाई 1997 नई दिल्ली यू0 पी0 आई0।*
9. *डॉ0 सिंह वी0 एस0, डा0 सिंह जनमेजय (भारतीय महिलाओं की समस्यायें ज्ञानोदय प्रकाशन कानपुर 2008–79/80–।*